विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-07/15

मेसर्स सुमित पोहा उद्योग — आवेदक
सूरज टाइल्स के पीछे ग्राम गर्रा,
तह. लालबर्रा जिला–बालाघाट

विरूद्ध

(1) मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशासन) — अनावेदकगण
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., जबलपुर।

(2) मुख्य अभियंता (जबलपुर क्षेत्र)
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।

(3) अधीक्षण अभियंता (संचा., संधा.) वृत्त,
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, सिवनी

(4) कार्यपालन अभियंता (शहर) संभाग
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, बालाघाट

आदेश
(दिनांक 20.08.2015 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के शिकायत प्रकरण क्रमांक 256/2014 मेसर्स सुमित पोहा उद्योग विरूद्ध मुख्य महाप्रबंधक तथा अन्य 3 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2014 के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 विद्युत लोकपाल कार्यालय में दर्ज प्रकरण क्रमांक एल00–07/15 में दिनांक 11.8.2015 को सुनवाई हेतु उभय पक्षों बुलाया गया था। सुनवाई हेतु अनावेदक के प्रतिनिधि उपस्थित हुए तथा आवेदक अनुपस्थित रहे।

03 प्रकरण की सुनवाई हेतु दिनांक 25.4.2015, 23.5.2015, 20.7.2015 एवं दिनांक 11.8.2015 नियत की गई थीं। इन तिथियों में आवेदक उपस्थित नहीं हुए।

04 अनावेदक द्वारा दिनांक 11.8.2015 को सुनवाई में उपस्थित हुए तथा उन्होंने आवेदक के लगातार अनुपस्थित रहने पर आपत्ति लेते हुए प्रकरण को समाप्त करने का अनुरोध किया।

05 अनावेदक के प्रतिनिधि द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि विद्युत लोकपाल को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में क्षतिपूर्ति प्रदान करने का प्रावधान नहीं है। जबकि आवेदक द्वारा दिनांक 6.1.2014 को उनके विद्युत संयोजन की सप्लाई बंद होने के कारण व्यावसायिक हानि के लिए रूपये 13100/– की क्षतिपूर्ति चाही है।

04 आवेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय देने के बाद भी वह उपस्थित नहीं हुए। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है।

05 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल